रजिस्ट्री सं. डी (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—3

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19, 1983/कार्तिक 28, 1905

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19, 1983/KARTIKA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि भी सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including orders, bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली 31 अक्तूबर, 1983

सा०का०नि०—842 राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड अध्यक्ष (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 1976 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड अध्यक्ष (भर्ती और सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड अध्यक्ष (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 1976 में निम्नलिखित परन्तुक नियम 4 के उपनियम (2) के पश्चात् अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

"परन्तु परिवीक्षा की अवधि आपवादिक कारणों को छोड़कर और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके कुल तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।"

[सं० 12018/1/80-प्रशासन 1(वि० का०)]

एन० के० सेठ, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 31st October, 1983

G.S.R. 842.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Foreign Exchange Regulation Appellate Board Chairman (Recruitment and conditions of Service) Rules, 1976, namely :—

1. *Short title and commencement*.—(1) These rules may be called the Foreign Exchange Regulation Appellate Board Chairman (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Regulation Appellate Board Chairman (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1976 the following proviso shall be inserted after Sub-rule (2) to Rule 4, namely :—

"Provided that the period of probation shall not, save for exceptional reasons and for reasons to be recorded in writing, be extended beyond a total period of three years."

[No. A. 12018/1/80-Adm. I(LA)]

N. K. SETH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1983

सा० का० नि० 868—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह ग) भर्ती नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह ग) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह ग) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, लिपिक श्रेणी I/भंडारी के पद से संबंधित क्रम सं० 71 के सामने, स्तम्भ 5, 6 और 7 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

'प्रोन्नति द्वारा :

75 प्रतिशत ऐसे लिपिक श्रेणी II/टेलीप्रिंटर आपरेटर/टेलीफोन परिचर और साधारण सहायक/प्रतिलिपिक/टेप लाइब्रेरियन (कनिष्ठ श्रेणी), आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के तत्कालीन प्रवर्ग और मंच सहायक में से जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है, ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता के आधार पर।

25 प्रतिशत ऐसे लिपिक श्रेणी II/टेलीप्रिंटर आपरेटर/टेलीफोन परिचर और साधारण सहायक/प्रतिलिपिक/टेप लाइब्रेरियन (कनिष्ठ श्रेणी), आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के तत्कालीन प्रवर्ग और मंच सहायक में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर।

टिप्पण :—

(i) सरकारी सेवक बन जाने पर, स्टाफ आर्टिस्ट अगली प्रोन्नति के समय पर नियत प्रवर्ग के साथ अपने विलयन तक पृथक प्रवर्ग के रूप में बने रहेंगे।

(ii) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, दो अलग-अलग ज्येष्ठता सूचियां होंगी अर्थात (i) विद्यमान प्रशासन काडर की ओर (ii) सिविल पदों को धारण करने वाले सभी ऐसे तत्कालीन स्टाफ आर्टिस्टों की जो प्रवर्ग (i) में के अधिकारियों के रूप में उसी वेतनमान में हैं (ii) पर की सूची की दशा में विभिन्न प्रवर्गों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण उस श्रेणी में नियमित आधार पर पद ग्रहण करने के आधार पर किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो पहले पद ग्रहण करता है उस व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा जो उसके बाद पद ग्रहण करता है और ऐसे व्यक्ति जो उच्चतर वेतनमान में पद धारण करते हैं उन व्यक्तियों से सामूहिक रूप से ज्येष्ठ होंगे जो कनिष्ठ वेतनमान में पद धारण कर रहे हैं।

(iii) दोनों ज्येष्ठता सूचियों में से लिपिक श्रेणी I/भंडारी के रूप में ठीक अगली श्रेणी में प्रोन्नति कोटा के आधार पर की जाएगी जिसके अनुपात का अवधारण इन दोनों प्रवर्गों में से प्रत्येक में मंजूर पदों की विद्यमान संख्या के आधार पर किया जाएगा।"

[संख्या 45011/83/82-बी० (ए०)]
जे० एल० माथुर, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, जिनका नाम आकाशवाणी (समूह ग) भर्ती नियम 1964 है सा०का०नि० 1776, तारीख 30-11-64 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए :—

1. अधिसूचना सं० 11/5/64-बी (ए), तारीख 9-8-1965
2. " सं० 5/2/67-बी (ए), तारीख 20-3-1967
3. " सं० 7/2/68-बी (ए) तारीख 14-6-1968
4. अधिसूचना सं० 7/8/66-बी (ए), तारीख 31-1-1970
5. " सं० 20/8/67-बी (ए), तारीख 24-2-1970
6. " सं० 16/20/69-बी (डी) तारीख 30-3-1970
7. " सं० 1/7/70-बी (ए), तारीख 18-3-1971
8. " सं० 8/8/71-बी (ए), तारीख 29-1-1972
9. " सं० 1/8/71-बी (ए), तारीख 2-2-1972
10. " सं० 1/11/71-बी (ए), तारीख 5-5-197
11. " सं० 1/4/72-बी (ए), तारीख 16-6-1972
12. " सं० 1/7/71-बी (ए), तारीख 14-11-1972
13. " सं० 1/6/73-बी (ए), तारीख 23-5-1973
14. " सं० 1/11/73-बी(ए) तारीख 29-6-1973
15. " सं० 1/5 73-बी (ए) तारीख 20-8-1978
16. " सं० 1/7/70-बी (ए), तारीख 15-5-1974
17. " सं० 1/7/70-बी (ए), तारीख 8-8-1974
18. " सं० 1/3/74-बी (ए), तारीख 21-5-1976
19. " सं० 12019/1/78-बी (ए), तारीख 17-12-1980
20. " सं० 12019/3/80-बी (ए), तारीख 27-4-1981
21. " सं० 12019/8/81-बी (ए) तारीख 17-5-1982 (सा०का०नि० 526, तारीख 5-6-82)
22. " सं० 12019/4/81-बी (ए), तारीख 11-4-83

New Delhi, the 19th September, 1983

G.S.R. 868.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group C) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group C) Recruitment (2nd Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group C) Recruitment Rules, 1964, against serial No. 71 relating to the post of Clerk Grade I/Store keeper for the entry under column 5, 6 and 7 the following entry shall be substituted namely :—

"By promotion :

75 per cent by promotion on the basis of seniority-cum-fitness from amongst Clerk Grade II/Teleprinter Operator/Telephone Attendant and General Assistant/Copyist/Tape Librarian (Junior Grade) erstwhile category of Staff Artists of All India Radio and Doordarshan and also Floor Assistant with 5 years' regular service in the grade.

25 per cent from amongst Clerk Grade II/Teleprinter Operator/Telephone Attendant and General Assistant/Copyist/Tape Librarian (Junior Grade) erstwhile category of Staff Artists of All India Radio and Doordarshan and Floor Assistant, with three years' regular service in any of the grade on the basis of a competitive examination.

NOTE :

(i) On becoming Government servants, the Staff Artists will continue as a separate category till their merger with the regular category at the time of next promotion.

(ii) For the purpose of promotion there will be two separate seniority lists (i) of existing administrative cadre, and (ii) of all such erstwhile Staff Artists holding civil posts who are in the same pay scale as officers in the category (i) In the case of list at (ii) the inter-se seniority from various categories will be determined on the basis of joining the post in that grade on a regular basis. The one who

joined earlier will be senior to another who joined later, and those who hold posts in higher scale would en-block be senior to those holding posts in Junior scales.

(iii) The promotion to the next grade as Clerk Grade I/Store Keeper from the two seniority lists will be on a quota basis, the ratio of which will be determined on the basis of existing number of posts sanctioned in each of these two categories".

[No. 45011/83/82-B(A)]
J. L. MATHUR, Under Secy.

*Note.—Principal Rules called the All India Radio (Group C) Recruitment Rules, 1964, were notified vide G.S.R. No. 1776 dated 30th November, 1964, and subsequently the following amendments have been notified :

1. Notification No. 11/5/64-B(A), dated 9-8-1965.
2. Notification No. 5/2/67-B(A), dated 20-3-1967.
3. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 14-6-1968.
4. Notification No. 7/8/66-B(A), dated 31-1-1970.
5. Notification No. 20/8/67-B(A), dated 24-2-1970.
6. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 18-3-1971.
7. Notification No. 16/20/69-B(D), dated 30-3-1970.
8. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 29-1-1972.
9. Notification No. 1/8/71-B(A), dated 2-2-1972.
10. Notification No. 1/11/71-B(A), dated 5-5-1972.
11. Notification No. 1/4/72-B(A), dated 16-6-1972.
12. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 14-11-1972.
13. Notification No. 1/6/73-B(A), dated 23-5-1973.
14. Notification No. 1/11/73-B(A), dated 29-6-1973.
15. Notification No. 1/5/75-B(A), dated 20-8-1973.
16. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 15-5-1974.
17. Notification No. 1/7/70-B(A), dated 8-8-1974.
18. Notification No. 1/3/74-B(A), dated 21-5-1976.
19. Notification No. 12019/1/78-B(A), dated 17-12-1980.
20. Notification No 12019/3/80-B(A), dated 27-4-1981.
21. Notification No. 12019/8/81-B(A), dated 17-5-1982. (GSR 625, dated 5-6-1982).
22. Notification No. 12019/4/81-B(A), dated 11-4-1983.

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1983

सा०का०नि० 869 – राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समूह "ग" पद (मुख्य श्रम आयुक्त संगठन प्रादेशिक कार्यालय) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समूह "ग" पद (मुख्य श्रम आयुक्त संगठन प्रादेशिक कार्यालय) (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. समूह "ग" पद (मुख्य श्रम आयुक्त संगठन प्रादेशिक कार्यालय) नियम, 1978 की अनुसूची में:—

(1) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ 13 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(i) प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अध्यक्ष
(ii) सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) सदस्य
(iii) श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) (ज्येष्ठतम) सदस्य"

(2) आशुलिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ 8 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति"।

[सं० ए-12018/6/82-सीएलटी]
ए० के० श्रीवास्तव, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 उपखण्ड (i) तारीख 30 दिसंबर, 1978 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि 1584 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) 14 जून 1980 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 655 तारीख 2 जून, 1980 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 7th November, 1983

G.S.R. 869.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Group 'C' posts (Regional offices of the Chief Labour Commissioner's Organisation) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Group 'C' posts (Regional Offices of the Chief Labour Commissioner's Organisation) (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Group 'C' posts (Regional Offices of the Chief Labour Commissioner's Organisation) Rules, 1978,—

(1) against serial number 2 relating to the post of Upper Division Clerk, for the entry under column 13, the following entry shall be substituted namely :—

(i) Regional Labour Commissioner (Central)—Chairman.

(ii) Assistant Labour Commissioner (Central)—Member.

(iii) Labour Enforcement Officer (Central)—Membtr"; (Seniormost)

(2) against serial number 3 relating to the post of Stenographer, for the entry under column 8, the following entry shall be substituted, namely :—

"Matriculation or equivalent, speed of 80 words per minute in stenographer and 40 words per minute in typewriting".

[No. A-12018/6/82-CLT]
A. K. SRIVASTAVA, Director

Note.—Principal rules published vide notification No. G.S.R. 1544 dated the 7th December, 1978 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 30th December, 1978, and subsequently amended vide notification No. G.S.R. 655 dated the 2nd June, 1980, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 14th June, 1980.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983